प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सेनवेट क्रेडिट योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम अन्तर्विष्ट शामिल है और 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि शमिल है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ बाद की आवधियों से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृंष्टात वह है जो के 2015-16 की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान मे आए।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई थी।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करना चाहती है।